फर्द अहकाम

नियम 26

अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) मुकाम भादरा

हेतराम आदि बनाम् सन्तोष आदि

म मुकदमा RTAct. 212 नं० 16/18.05.2021 सन् 2021

रीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
05.2021	आज यह स्थगन प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी के द्वारा पेश किया। रिपोर्ट सिगेदार होने के बाद प्रकरण अन्तगर्त धारा 212 आर.टी.एक्ट दर्ज रजिस्टर किया गया। स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी की बहस एवं प्रस्तुत दस्तावेज, शपथ पत्र से सन्तुष्ट होकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस अमर की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी 12.07.2021 तक जारी की जाती है कि रोही मोजा चक 18 एएमएस के खाता संख्या 27/27 के मुरब्बा नम्बर 20, 21, 25, 26, 34 के कुल किता 48 की कुल 12.144 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करे तथा मौका रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। बैंक ऋण (रोड़ा एक्ट), रास्ता, खाला विवाद, वाप्कोस कार्य, DILRMP पर उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा लागू नही होगी। इस सम्बन्ध में आपको कोई उज्र एतराज हो तो असालतन या वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें। आगामी आदेश प्रथक से जारी किये जायेगें। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस रजिस्ट्रड डाक व साधारण सम्मन से तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 12.07.2021 को पेश है। [signature] उपखण्डाधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ)	
12/7/21	पत्रावली पेश हुई। कब्जुलाएं फेरीकान उप.। प्रतिवादी सं. 1 को तामिल हो चुकी है, वकिल प्रतिवादी-1 द्वारा वकालतनामा मूलवाद मे पेश किया, जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते तलबी शेष दिनांक 18.8.21 को पेश हो। [signature]	
8/21	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली वास्ते तलबी शेष दिनांक 17/9/21 को पेश हो। [signature]	

हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ

31/03/23 पत्रावली पेश हुई बार संघ का
कार्य स्थगित है। गत आदेशानुसार
पत्रावली दिनांक 17/5/23 को पेश हो।

17/5/23 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व अप्रार्थी उपस्थित। वकील अप्रार्थी ने अप्रार्थी सं० 1 की ओर से जवाब पेश किया गया। पत्रावली में बहस अस्थायी निषेधाज्ञा सुनी गई। दौरान बहस वकील अप्रार्थी ने कथन किया कि उक्त भूमि अप्रार्थी सं० 1 को विरासतन अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई। तथा सालों से अप्रार्थी सं० 1 अपनी हिस्से की भूमि को काश्त करती आ रही है। अप्रार्थी द्वारा अपनी भूमि के उपयोग-उपभोग में प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाकर बाधा उत्पन्न कर रहे है, इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र 212 RTAct खारिज किया जावें।

वकील प्रार्थी द्वारा कथन किया कि अप्रार्थी सं० 1 उक्त वाद भूमि को बेचान करने पर आमदा है, इसलिए जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थी को तकमील वाद पाबन्द किया जावे।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया जाकर तथा पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। चूंकि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मूल वाद 53 RTAct का है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 RTAct में वर्णित प्रावधानों के अनुसार किसी भी सहखातेदार के खिलाफ प्रार्थी के प्राकृतिक हकों से वंचित करने के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

अस्थाई निषेधाज्ञा के मुख्य तीन बिन्दुओं प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूर्णीय क्षति के आधार पर अप्रार्थी सं० 1 उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 18.05.21 से अपनी पैतृक हिस्से भूमि के नियमित उपयोग-उपभोग से वंचित है। पत्थरबारान का खाता व लगान 'By Metes and Bounds' से मूल वाद में होना है, जो न्यायालय हाजा में जेरकार है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अस्थाई निषेधाज्ञा के आधारभूत बिन्दु प्रार्थीगण के खिलाफ व अप्रार्थी के पक्ष में साबित होते है।

इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 RTAct साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
[illegible] (जिला-हनुमानगढ़)